भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *137

09.02.2026 को उत्तर के लिए

वायु की गुणवत्ता बनाए रखने और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कार्यनीति

***137. श्री मनीश तिवारीः**

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी)' के बावजूद लगातार तीन महीनों तक वायु गुणवत्ता सूचकांक के लगभग 400 या उससे अधिक के गंभीर स्तर पर बने रहने से रोकने में विफलता के क्या कारण हैं और इसके कार्यान्वयन या प्रवर्तन में पहचान की गई विशिष्ट खामियां क्या हैं;

(ख) पीएम 2.5, पीएम 10 और प्रमुख प्रदूषकों की राष्ट्रीय स्तर पर और प्रमुख शहरों में शहर-वार वर्तमान स्थिति क्या है और इनका स्तर राष्ट्रीय मानकों और विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों से कितना अधिक है;

(ग) क्या सरकार ने भारत में लागू करने के लिए बीजिंग द्वारा अपनाए गए उपायों सहित कोयले का उपयोग चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने, कम उत्सर्जन वाले क्षेत्र और सख्त अनुपालन तंत्र जैसे सफल अंतर्राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉडलों की जांच की है;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुभेद्य समूहों पर असमानुपातिक रूप से अधिक बोझ न पड़े, देश में कौन-कौन से उपाय किए जाने या उपायों के कार्यान्वयन के पैमाने में वृद्धि किए जाने का विचार है; और

(ङ) क्या वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम की समीक्षा की योजना बनाई गई है और यदि हां, तो क्या इसमें स्वतंत्र निगरानी और सार्वजनिक प्रकटीकरण के साथ समयबद्ध, शहर-वार कार्य योजना शामिल किए जाने की संभावना है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ङ) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'वायु की गुणवत्ता बनाए रखने और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कार्यनीति' के संबंध में दिनांक 09.02.2026 को उत्तर के लिए श्री मनीश तिवारी द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *137 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ङ): वर्ष 2025-26 के शीतकालीन मौसम (अक्टूबर-जनवरी) के दौरान दिल्ली में गंभीर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई > 401) स्तरों वाले कुल 10 दिन दर्ज किए गए, जबकि वर्ष 2016-17 में ऐसे दिनों की संख्या 31 दिन थी। दिल्ली-एनसीआर के शहरों में लगातार पिछले तीन महीनों के दौरान गंभीर एक्यूआई स्तर वाले दिनों की संख्या का विवरण **अनुलग्नक–I** में दिया गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश केवल एक मार्गदर्शक दस्तावेज़ के रूप में कार्य करते हैं तथा नीति-निर्माताओं के लिए गैर-बाध्यकारी संदर्भ हैं। ये दिशानिर्देश देशों को वायु गुणवत्ता प्राप्त करने में सहायता हेतु वायु प्रदूषकों के लिए अनुशंसित मान हैं। देशों को सलाह दी जाती है कि वे इन दिशानिर्देशों को लागू करने योग्य मानकों के रूप में अपनाने से पूर्व अपने भौगोलिक, सामाजिक-आर्थिक एवं पर्यावरणीय कारकों पर विचार करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देश में जनस्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय गुणवत्ता की सुरक्षा हेतु 12 प्रमुख वायु प्रदूषकों के संदर्भ में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस) अधिसूचित किए गए हैं।

वर्ष 2024 के लिए छह प्रमुख महानगरों–बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और दिल्ली– में पीएम2.5, पीएम10 तथा अन्य प्रमुख प्रदूषकों की वार्षिक औसत सांद्रता का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

भारत सरकार ने वर्ष 2019 में एक दीर्घकालिक, समयबद्ध एवं राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया ताकि 24 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के में वायु गुणवत्ता मानक को पूरा नहीं करने वाले/ दस लाख से अधिक आबादी वाले 130 शहरों/शहरी समूहों में वायु प्रदूषण की समस्या से निराकरण किया जा सके। एनसीएपी के अंतर्गत सभी 130 शहरों द्वारा अपने-अपने शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार उपायों को लागू करने हेतु शहर-विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएँ तैयार की गई हैं। इन योजनाओं में मिट्टी एवं सड़क की धूल, वाहन उत्सर्जन, कचरा जलाना, निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियाँ तथा औद्योगिक प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों को लक्षित किया गया है।

शहर कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समन्वय, निगरानी, प्रगति का मूल्यांकन करने और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समितियों (शीर्ष, संचालन, निगरानी और

कार्यान्वयन), राज्य स्तर पर समितियों (संचालन और निगरानी) और शहर स्तर की निगरानी और कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 को वायु की गुणवत्ता के संरक्षण और वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 को पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए अधिनियमित किया गया था।

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 के अंतर्गत केंद्र सरकार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कार्यों के निष्पादन हेतु निर्देश जारी करने का अधिकार प्राप्त है तथा इसके अलावा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य सरकार को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश जारी करने का अधिकार प्राप्त है।

वायु अधिनियम, 1981 की धारा 22 के अंतर्गत वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक संयंत्रों को निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का उत्सर्जन न करने का अधिदेश दिया गया है।

इसके अलावा, वायु अधिनियम, 1981 की धारा 31 क राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को अपने कार्यों के निष्पादन के लिए किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को निर्देश जारी करने की शक्तियां प्रदान करती है, जिसमें किसी भी उद्योग, प्रचालन या प्रक्रिया को बंद करने, उस पर रोक लगाने या विनियमित करने, बिजली, पानी और किसी अन्य सेवा की आपूर्ति को रोकने या विनियमित करने संबंधी निर्देश देना शामिल हैं।

संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) अथवा प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ (पीसीसी), वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अंतर्गत उद्योगों के लिए सहमति तंत्र (स्थापना की सहमति तथा संचालन की सहमति) के माध्यम से वायु प्रदूषण की निगरानी करते हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ विशिष्ट श्रेणी के उद्योगों को उनके द्वारा अपनी अर्द्ध-वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट फाइल करने तथा पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्रदान किए जाने की प्रक्रिया के माध्यम से पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, सरकार ने दिल्ली-एनसीआर और निकटवर्ती इलाकों में वायु प्रदूषण की समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए एनसीआर और निकटवर्ती इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के तहत वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की स्थापना की है।

सीएक्यूएम को इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियों को वायु गुणवत्ता को बनाए रखने और उसमें सुधार करने के लिए उपाय करने और निर्देश जारी करने की शक्तियाँ दी गई हैं। अब तक, सीएक्यूएम ने दिल्ली- एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए संबंधित हितधारकों को 95 वैधानिक निर्देश और 17 सलाह जारी की हैं।

सरकार ने दिल्ली-एनसीआर और आस-पास के इलाकों में पराली जलाने से संबंधित मुद्दों सहित वायु प्रदूषण की अन्य समस्याओं से निपटने के लिए की गई कार्रवाइयों की नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की है। हाल की कुछ प्रमुख बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

i. माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में 08.08.2025, 16.09.2025, 10.10.2025, 11.11.2025, 26.11.2025, 03.12.2025, 15.12.2025, 16.12.2025, 17.12.2025, 19.12.2025, 06.01.2026, 12.01.2026, 20.01.2026 और 02.02.2026 को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित मुद्दों पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं, ताकि वायु प्रदूषण कम करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया जा सके और पूरे क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन को और मजबूत करने के लिए रणनीतियाँ बनाई जा सकें। मिशन मोड में प्रदूषण नियंत्रण उपायों में तेजी लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक बुलाई गई।

ii. फसल अवशेष जलाने संबंधी प्रबंधन के मुद्दों पर माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की सह-अध्यक्षता में 07.10.2025 को मंत्री स्तरीय अंतर-मंत्रालयी बैठक आयोजित की गई।

उपर्युक्त समीक्षा बैठकों में, राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों और कार्यान्वयन एजेंसियों को वायु गुणवत्ता सुधार उपायों को लागू करने के लिए कार्य योजना शीघ्रता से तैयार करने के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण उपायों जैसे एकीकृत अपशिष्ट संग्रह और प्रबंधन योजना बनाना, गड्ढों वाले सड़क खंडों की पहचान और मरम्मत करना, सड़कों का एक छोर से दूसरे छोर तक पक्का निर्माण करना, निर्माण और विध्वंस (सी एण्ड डी) अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा के लिए फीडर केंद्र स्थापित करना, सी एण्ड डी अपशिष्ट से पुनर्चक्रित उत्पादों की खपत बढ़ाने के लिए उपाय करना, बड़े निर्माण स्थलों की निगरानी करना, सड़क की मशीनीकृत सफाई करना, पहचाने गए ट्रैफिक जाम वाले स्थानों को जाम से मुक्ति दिलाना को कम करना, हरित क्षेत्र बढ़ाना, सभी वायु प्रदूषक उद्योगों में समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) और वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (एपीसीडी) स्थापित करने के निर्देश दिए गए।

एनसीएपी के अंतर्गत 130 शहरों द्वारा की गई संकेंद्रित कार्रवाइयों के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं जिसमें 2017-18 की तुलना में वर्ष 2024-25 में 103 शहरों में पीएम10 सांद्रता में कमी दर्ज की गई है, जिनमें से 64 शहरों में पीएम10 स्तरों में 20% से अधिक कमी हुई है तथा इनमें से 25 शहरों ने 40% से अधिक की कमी हुई है। कुल 22 शहरों ने राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस) को पूरा कर लिया है तथा इन शहरों में पीएम10 की सांद्रता 60 $\mu g/m^3$ से कम पाई गई है।

समन्वित कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप, दिल्ली के औसत एक्यूआई में सुधार हुआ है, वर्ष 2018 में एक्यूआई 225 थी जो वर्ष 2025 में कम होकर 201 हो गई।

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों का विवरण **अनुलग्नक-III** में संलग्न है।

*****

अनुलग्नक-I

नवंबर-दिसंबर 2025 और जनवरी, 2026 के दौरान दिल्ली-एनसीआर के शहरों का दैनिक एक्यूआई स्तर

राज्य	दिल्ली			हरियाणा			हरियाणा			हरियाणा			हरियाणा			हरियाणा			हरियाणा		
शहर	दिल्ली			बहादुरगढ़			बल्लभगढ़			भिवानी			चरखी दादरी			धारूहेड़ा			फरीदाबाद		
तारीख	नवंबर-25	दिसंबर-25	जनवरी-26	नवंबर-25	दिसंबर-25	जनवरी-26	नवंबर-25	दिसंबर-25	जनवरी-26	नवंबर-25	दिसंबर-25	जनवरी-26	नवंबर-25	दिसंबर-25	जनवरी-26	नवंबर-25	दिसंबर-25	जनवरी-26	नवंबर-25	दिसंबर-25	जनवरी-26
1	303	304	380	254	322	187	319	209	225	114	289	156	375	224	ना	ना	299	331	196	221	234
2	366	372	236	313	306	191	319	209	200	256	245	149	288	305	ना	434	341	245	215	248	210
3	309	342	267	202	ना	ना	320	209	259	226	258	88	215	303	ना	176	333	256	198	227	222
4	291	304	307	57	ना	187	141	213	250	287	233	114	252	290	235	227	328	322	194	203	215
5	202	327	244	48	335	187	191	234	181	248	256	204	177	252	188	ना	326	242	171	217	185
6	311	330	310	ना	275	187	126	202	258	253	251	300	337	258	291	238	301	251	218	213	220
7	322	308	289	313	ना	187	122	307	203	235	270	232	286	226	286	165	295	328	204	199	217
8	361	314	280	325	287	187	129	315	223	253	285	182	302	252	249	152	303	189	264	203	223
9	370	282	345	436	287	187	130	312	295	252	249	77	338	230	248	262	309	348	214	193	174
10	362	259	346	373	254	187	128	308	ना	286	241	100	371	169	260	310	ना	291	231	195	197
11	428	307	291	421	235	187	120	332	225	285	238	ना	355	256	177	ना	275	229	298	253	246
12	418	349	297	332	298	187	119	359	210	340	205	ना	337	217	250	281	293	272	274	204	261
13	404	431	360	466	353	187	ना	356	264	345	161	160	349	264	265	299	368	371	288	214	254
14	387	461	353	388	464	187	209	313	338	351	171	202	329	287	300	299	394	320	258	218	241
15	386	427	343	300	374	187	216	328	285	325	150	203	295	253	291	302	336	286	263	211	235
16	377	354	354	439	311	187	219	330	342	317	121	83	282	205	269	261	343	330	257	182	245
17	351	334	400	348	303	187	203	300	326	129	161	72	259	182	313	161	297	364	247	197	253
18	374	373	440	ना	302	187	110	303	256	121	131	118	313	171	291	263	ना	361	212	239	247
19	392	374	410	ना	259	187	91	324	ना	198	163	209	309	174	172	277	332	378	265	251	253
20	391	398	378	ना	360	187	ना	305	ना	140	165	210	236	189	339	ना	365	373	255	235	262
21	364	377	330	360	ना	187	198	251	ना	316	176	ना	232	202	253	226	326	351	238	235	234
22	370	373	322	292	352	187	191	225	287	324	156	249	214	219	233	243	ना	317	233	234	243
23	391	412	282	392	281	187	205	338	301	328	145	296	396	318	168	235	ना	268	237	239	216
24	382	271	192	298	ना	187	ना	237	244	316	151	258	366	197	104	302	256	184	232	216	206
25	353	234	153	276	93	187	272	262	239	295	152	218	320	180	158	320	228	106	220	215	134
26	327	332	241	222	371	187	264	280	276	300	148	197	279	240	256	296	299	234	210	234	174
27	377	385	336	222	ना	187	ना	303	262	301	176	230	317	298	ना	350	310	315	203	249	191
28	369	390	255	299	ना	187	268	334	168	271	156	ना	348	292	313	376	377	324	190	255	136
29	305	401	226	322	ना	187	266	274	157	238	160	ना	304	310	235	309	341	213	212	253	129
30	279	388	253	322	ना	187	259	280	278	265	146	ना	229	ना	262	269	286	213	176	243	144
31		373	315		224	187		255	247		158			262	270		367	341		221	197

राज्य	हरियाणा			हरियाणा			हरियाणा			हरियाणा			हरियाणा			हरियाणा			हरियाणा		
शहर	**गुरुग्राम**			**जींद**			**करनाल**			**मंडीखेड़ा**			**मानेसर**			**नारनौल**			**पलवल**		
तारीख	**नवंबर-25**	**दिसंबर-25**	**जनवरी-26**	**नवंबर-25**	**दिसंबर-25**	**जनवरी-26**	**नवंबर-25**	**दिसंबर-25**	**जनवरी-26**	**नवंबर-25**	**दिसंबर-25**	**जनवरी-26**	**नवंबर-25**	**दिसंबर-25**	**जनवरी-26**	**नवंबर-25**	**दिसंबर-25**	**जनवरी-26**	**नवंबर-25**	**दिसंबर-25**	**जनवरी-26**
1	276	275	312	330	224	310	251	194	291	83	129	130	160	323	193	215	188	182	120	100	103
2	357	277	187	314	221	87	348	258	188	140	160	82	289	331	108	216	187	198	120	143	89
3	235	282	244	354	219	92	280	258	163	92	ना	85	340	327	122	217	187	213	119	176	83
4	219	293	333	275	212	85	270	205	192	73	122	116	86	302	222	216	187	296	131	107	89
5	225	298	240	301	265	100	216	258	114	ना	192	101	269	ना	114	216	188	243	ना	132	84
6	257	314	303	324	197	168	169	234	173	78	146	110	269	282	187	218	188	314	192	142	83
7	253	273	294	291	192	178	246	240	188	73	96	101	258	237	211	216	193	266	116	106	85
8	236	278	290	295	210	106	264	167	163	86	106	ना	291	254	ना	215	216	215	126	106	107
9	238	260	373	302	270	111	255	ना	182	74	89	207	270	238	295	204	216	303	192	106	122
10	261	276	349	355	270	180	185	141	198	122	118	256	294	221	232	304	225	322	171	102	136
11	378	268	280	376	296	127	217	232	153	109	126	102	343	304	160	275	ना	289	250	110	98
12	350	286	297	418	189	182	165	306	190	131	142	145	254	313	202	238	218	211	204	114	101
13	300	322	378	333	332	162	164	256	241	109	219	247	246	351	348	203	217	277	ना	189	ना
14	278	291	279	313	333	249	231	120	226	107	264	157	232	356	251	290	217	318	94	207	119
15	305	345	318	ना	215	212	229	273	201	147	248	167	254	325	258	209	216	286	90	177	115
16	301	320	347	273	301	171	170	126	213	215	ना	124	260	278	251	249	217	259	82	154	108
17	253	279	360	ना	218	195	202	216	224	97	102	150	234	238	319	223	216	279	86	110	119
18	272	276	378	ना	196	254	243	158	281	231	123	218	328	304	303	259	216	302	116	135	115
19	300	322	379	260	175	311	162	162	258	187	239	238	183	281	301	252	216	337	120	ना	118
20	302	362	394	275	259	294	302	227	255	199	196	235	312	328	328	240	217	354	107	76	122
21	287	328	358	264	322	249	291	302	182	114	152	177	251	199	316	213	216	337	85	62	112
22	286	331	366	316	289	ना	298	258	184	134	108	146	278	231	307	147	217	343	137	74	110
23	295	364	227	306	ना	ना	276	235	191	85	241	102	321	343	200	197	237	201	102	76	101
24	286	236	225	291	151	ना	224	131	55	97	185	89	342	182	179	213	295	111	75	52	96
25	303	239	198	277	157	110	246	153	79	198	95	76	356	ना	132	191	235	135	68	43	82
26	272	312	276	283	280	147	225	117	128	110	142	93	331	260	174	132	232	252	67	94	93
27	317	299	306	243	ना	156	255	178	183	176	171	161	368	290	239	223	255	277	93	96	111
28	320	353	267	219	292	93	183	262	72	215	177	100	368	334	138	85	314	328	91	112	56
29	262	318	232	184	199	104	133	188	32	118	139	93	280	ना	141	176	306	208	63	103	48
30	245	294	268	189	132	151	115	249	32	100	102	101	254	203	152	187	107	197	86	103	42
31		328	300		128			261	71		ना	103		264	296		204	179		103	77

	हरियाणा			हरियाणा			हरियाणा			राजस्थान			राजस्थान			राजस्थान			उत्तर प्रदेश		
शहर	पानीपत			रोहतक			सोनीपत			अलवर			भरतपुर			भिवाड़ी			बागपत		
तारीख	नवंबर-25	दिसंबर-25	जनवरी-26	नवंबर-25	दिसंबर-25	जनवरी-26	नवंबर-25	दिसंबर-25	जनवरी-26	नवंबर-25	दिसंबर-25	जनवरी-26	नवंबर-25	दिसंबर-25	जनवरी-26	नवंबर-25	दिसंबर-25	जनवरी-26	नवंबर-25	दिसंबर-25	जनवरी-26
1	287	292	347	389	ना	ना	239	329	225	84	86	130	74	138	145	214	314	238	321	ना	349
2	288	236	205	ना	ना	115	284	310	198	112	103	114	118	161	113	376	340	176	341	ना	172
3	ना	172	200	ना	ना	104	284	308	194	94	108	114	98	202	112	224	310	196	384	363	124
4	ना	145	214	329	ना	ना	ना	308	194	92	89	ना	78	130	112	236	295	274	279	307	215
5	302	ना	ना	244	ना	81	313	288	149	77	93	120	63	167	117	93	290	202	140	311	118
6	217	181	185	348	ना	136	253	278	148	107	176	127	121	126	126	240	294	242	276	248	150
7	309	216	197	ना	151	140	251	278	148	82	102	126	150	156	110	199	216	226	287	210	276
8	282	269	169	374	72	ना	251	280	127	82	103	127	106	161	109	215	227	182	285	226	262
9	252	235	221	323	71	114	251	287	139	104	103	131	164	113	136	296	208	336	308	219	195
10	227	ना	ना	324	56	147	345	287	139	114	95	136	189	109	215	350	218	230	381	251	259
11	222	228	170	342	56	ना	381	287	121	120	96	119	189	126	92	373	237	221	299	290	163
12	259	301	203	406	285	ना	372	279	139	109	103	116	144	141	90	318	277	227	ना	383	215
13	249	426	217	430	298	162	347	255	139	97	104	130	196	182	160	336	321	384	297		272
14	207	382	280	307	ना	ना	354	276	144	104	122	138	201	174	170	339	351	288	284	429	315
15	224	209	270	102	281	136	370	285	ना	97	124	124	158	166	117	338	300	326	356	ना	242
16	ना	140	243	246	421	179	369	285	136	ना	96	100	127	163	106	315	265	298	335	337	238
17	132	ना	311	237	385	ना	344	286	133	94	82	137	153	127	167	260	219	354	ना	336	282
18	146	138	397	309	ना	ना	344	290	136	98	86	143	172	145	98	359	278	348	397	ना	329
19	100	173	379	353	ना	ना	332	292	136	103	120	142	196	135	161	335	296	344	335	ना	348
20	276	213	ना	274	279	259	310	299	136	126	113	139	254	138	111	349	332	342	428	329	248
21	ना	246	198	288	337	194	308	299	136	105	117	133	121	111	150	334	270	305	343	266	236
22	115	282	208	301	327	218	311	299	136	102	116	133	222	120	205	338	290	314	403	266	227
23	351	238	204	ना	ना	179	343	282	ना	101	118	134	245	99	84	336	336	242	342	240	235
24	178	165	ना	147	340	147	311	277	ना	98	101	126	158	105	ना	294	222	184	330	186	100
25	229	274	106	326	103	94	291	277	136	101	98	117	165	99	89	312	210	176	294	261	99
26	ना	318	99	325	ना	119	291	294	136	93	105	121	158	114	181	290	270	230	309	339	155
27	ना	ना	116	329	217	171	331	ना	148	105	112	134	171	129	160	349	270	288	287	231	213
28	190	ना	ना	338	244	142	344	ना	ना	131	126	93	188	154	199	350	330	196	294	251	174
29	ना	ना	80	ना	178	109	329	225	136	109	134	123	149	132	101	284	350	170	250	267	195
30	239	266	80	ना	151	108	329	225	ना	87	122	117	163	102	97	274	316	230	245	240	226
31		246			151	174		225			99	117		97	78		350	349		233	271

राज्य	उत्तर प्रदेश			उत्तर प्रदेश			उत्तर प्रदेश			उत्तर प्रदेश			उत्तर प्रदेश			उत्तर प्रदेश			उत्तर प्रदेश			उत्तर प्रदेश		
शहर	**बुलंदशहर**			**गाजियाबाद**			**ग्रेटर नोएडा**			**हापुड़**			**खुर्जा**			**मेरठ**			**मुजफ्फरनगर**			**नोएडा**		
तारीख	**नवंबर-25**	**दिसंबर-25**	**जनवरी-26**	**नवंबर-25**	**दिसंबर-25**	**जनवरी-26**	**नवंबर-25**	**दिसंबर-25**	**जनवरी-26**	**नवंबर-25**	**दिसंबर-25**	**जनवरी-26**	**नवंबर-25**	**दिसंबर-25**	**जनवरी-26**	**नवंबर-25**	**दिसंबर-25**	**जनवरी-26**	**नवंबर-25**	**दिसंबर-25**	**जनवरी-26**	**नवंबर-25**	**दिसंबर-25**	**जनवरी-26**
1	214	269	288	298	322	356	265	296	352	295	324	269	135	186	265	326	268	319	319	268	220	292	321	367
2	348	294	201	351	361	239	340	378	238	346	379	185	302	244	216	381	322	214	339	312	275	348	395	229
3	288	224	133	340	324	262	300	324	239	323	363	130	247	253	200	376	263	212	339	272	150	312	365	242
4	264	205	238	325	302	298	262	285	316	299	336	236	238	230	241	292	243	253	265	258	253	304	308	307
5	207	298	162	207	321	262	187	316	236	205	372	125	189	245	147	152	302	188	160	304	159	215	339	260
6	187	293	247	266	343	322	228	321	320	249	336	220	232	275	160	191	295	257	148	300	245	257	344	314
7	229	218	214	314	315	276	284	290	298	279	204	179	266	195	158	239	277	288	236	241	232	306	317	288
8	307	234	185	339	309	296	336	302	290	334	206	171	312	197	165	318	269	216	278	241	204	354	330	294
9	310	179	257	345	286	347	340	252	364	331	133	222	327	184	141	353	190	261	305	275	206	366	285	365
10	308	180	270	312	262	351	334	224	338	324	145	248	308	168	203	287	222	269	270	212	245	320	256	348
11	358	224	161	390	343	283	406	301	278	332	246	132	381	234	172	271	342	219	240	338	203	425	322	260
12	340	282	199	362	363	287	387	373	258	351	285	161	378	290	149	315	384	248	205	400	232	408	386	274
13	321	325	274	370	430	358	377	442	384	360	355	228	ना	299	238	317	355	278	301	302	214	389	455	367
14	404	263	276	370	459	342	368	435	357	335	ना	214	322	281	216	336	372	270	356	352	246	364	466	338
15	334	284	250	392	444	321	418	447	342	380	ना	223	311	240	207	369	360	320	277	288	250	397	437	344
16	320	297	280	419	332	376	419	326	358	376	241	ना	284	258	260	326	281	293	310	293	256	385	352	363
17	312	273	197	401	308	394	390	310	332	383	284	ना	318	243	123	364	292	209	292	284	284	358	331	388
18	334	205	287	434	339	458	454	344	402	398	202	299	343	206	160	376	245	352	309	221	322	390	397	430
19	336	218	280	422	358	425	420	376	375	378	208	281	311	188	167	339	260	319	311	231	249	409	410	412
20	302	203	280	430	361	393	380	344	372	388	221	236	248	183	ना	345	262	257	336	267	266	408	401	382
21	292	258	233	422	364	347	353	329	320	406	235	231	232	226	181	411	280	228	364	298	186	394	327	329

राज्य	उत्तर प्रदेश			उत्तर प्रदेश			उत्तर प्रदेश			उत्तर प्रदेश			उत्तर प्रदेश			उत्तर प्रदेश			उत्तर प्रदेश			उत्तर प्रदेश		
शहर	**बुलंदशहर**			**गाजियाबाद**			**ग्रेटर नोएडा**			**हापुड़**			**खुर्जा**			**मेरठ**			**मुजफ्फरनगर**			**नोएडा**		
22	338	290	197	434	360	359	364	332	314	380	234	201	ना	261	172	374	302	230	345	313	220	394	366	335
23	353	257	179	437	392	278	399	388	249	420	282	208	316	234	116	364	322	235	382	206	253	418	426	270
24	356	169	107	396	244	203	382	259	170	416	192	109	293	169	100	350	227	88	318	227	ना	397	273	184
25	306	194	120	349	280	173	364	268	155	389	220	67	306	188	106	322	237	120	314	274	142	373	256	120
26	279	276	183	329	382	302	322	394	226	366	328	145	309	251	124	306	330	148	322	203	197	350	376	219
27	269	296	200	358	404	376	381	395	304	344	265	225	244	321	129	308	330	260	266	235	269	391	409	331
28	261	295	57	347	414	234	378	434	189	265	264	69	267	279	50	224	295	53	244	235	86	388	419	217
29	263	172	142	299	393	272	288	356	250	310	227	97	229	181	99	214	316	136	237	216	152	310	410	247
30	254	254	135	256	404	303	268	366	248	285	287	121	169	231	111	197	344	138	178	286	195	279	400	257
31		232	189		312	313		366	328		257	125		207	110		315	164		251	167		382	324

नोट: ना का मतलब है किसी खास दिन का वायु गुणवत्ता माप (एक्यूआई) का माप उपलब्ध नहीं है।

अनुलग्नक-II

भारत के प्रमुख महानगरों में वायु गुणवत्ता - कैलेंडर वर्ष 2024

क्र.स.	यूए /शहर का नाम	राज्य	वार्षिक औसत सांद्रता			
			एसओ2 (µg/m3)	एनओ2 (µg/m3)	पीएम10 (µg/m3)	पीएम2.5 (µg/m3)
1.	बेंगलुरु यूए	कर्नाटक	7	19	70	33
2.	चेन्नई यूए	तमिलनाडु	8	15	60	27
3.	दिल्ली यूए	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	12	45	220	111
4.	ग्रेटर मुंबई यूए	महाराष्ट्र	11	26	87	34
5.	हैदराबाद यूए	तेलंगाना	10	19	78	30
6.	कोलकाता यूए	पश्चिम बंगाल	7	31	96	48

अनुलग्नक-III

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

- 80 से अधिक उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।
- 1 अप्रैल 2020 से भारत स्टेज-VI (बीएस-VI) उत्सर्जन मानकों को सीधे लागू किया गया।
- वाहन स्क्रैपिंग नीति, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के लिए नियम-एमओआरटीएच।
- ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, बायोमेडिकल अपशिष्ट, टीपीपी से फ्लाई ऐश के लिए अपशिष्ट प्रबंधन नियम
- प्लास्टिक पैकेजिंग, ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, इस्तेमाल किए गए टायर, इस्तेमाल किए गए तेल, उपयोग अवधि समाप्त होने वाले वाहन, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट और गैर-लौह धातु के स्क्रैप जैसी अपशिष्ट श्रेणियों के लिए बाजार-आधारित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) विनियम शुरू किए गए।
- उच्च कूड़ा क्षमता वाली और कम उपयोगिता वाले 12 एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक (एसयूपी) को 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
- एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले (पेलेट/ब्रिकेट) के साथ-साथ फसल अवशेष के न्यूनतम 5% के उपयोग के लिए अधिदेश।
- आईएमडी और आईआईटीएम द्वारा प्रदान किए गए परिवर्तनशील वायु गुणवत्ता मॉडल और मौसम पूर्वानुमान के आधार पर, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक के स्तर में गिरावट की आशंका में, मौसम संबंधी स्थितियों और मानवजनित गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण I, II, III और IV के तहत कार्रवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर पहले से लागू की जाती है।
- केंद्रीकृत वायु गुणवत्ता पोर्टल एवं मोबाइल एप्लिकेशन-'समीर' आम जनता के लिए लगभग वास्तविक समय वायु गुणवत्ता डेटा तथा प्रति घंटे एक्यूआई की निगरानी एवं प्रसार हेतु संचालित है जबकि सीपीसीबी देशभर के शहरों, जिसमें दिल्ली-एनसीआर भी शामिल है, के लिए प्रतिदिन अपराह्न 04:00 बजे दैनिक एक्यूआई बुलेटिन जारी करता है। समीर ऐप प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के निवारण तंत्र के रूप में भी कार्य करता है।
- **प्राण - मानक** पूरा न करने वाले शहरों में वायु प्रदूषण विनियमन हेतु पोर्टल को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत लक्षित 130 मानक पूरा न करने वाले शहरों में वायु प्रदूषण उपशमन गतिविधियों के कार्यान्वयन के प्रबंधन, निगरानी एवं प्रगति की समीक्षा हेतु संचालित किया गया है।